इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 जून 2015—ज्येष्ठ 26, शक 1937

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जून 2015

क्र. 84 (9) वि.निर्वा.-चार-2015-उपचुनाव-329.—भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रमांक 576-3-EVM-2015-SDR-Vol-I, दिनांक 5 जून 2015 सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2015

निदेश

संख्या 576-3-ई.वी.एम.-2014-एस.डी.आर.-(उप-वि.स.).—यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिये प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करें; तथा

2. यत:, आयोग ने मेघालय में **59-चोकपोट (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 136-अरुवीकरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, त्रिपुरा में 13-प्रतापगढ़ (अ. जा.) एवं 46-सुरमा (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मध्यप्रदेश में 227-गरोठ विधान निर्वाचन सभा क्षेत्र और तमिलनाडू में 11-डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिये पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध हैं तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिये प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं.

3. अत:,, अब भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा मेघालय में **59-चोकपोट (अ.ज.जा.), विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 136-अरुवीकरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, त्रिपुरा में 13-प्रतापगढ़ (अ.जा.) एवं 46-सुरमा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मध्यप्रदेश में 227-गरोठ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडू में 11-डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में उल्लिखित करता है, जिसमें 3 जून 2015 (बुधवार) को उक्त राज्यों में अधिसूचित किए गए विधान सभाओं के चालू उप-निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए हैं.

आदेश से,

हस्ता./-

(अनुज जयपुरियार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 5th June 2015

DIRECTION

No. 576-3-EVM-2015-SDR.-Vol.1.—WHEREAS, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951 provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2.WHEREAS, the Commission has considered the circumstances in **59-Chokpot(ST) Assembly Constituency in Meghalaya, 136-Aruvikkara, Assembly Constituency in Kerala, 13-Pratapgarh (SC) & 46-Surma (SC) Assembly Constituencies in Tripura, 227-Garoth Assembly Constituency in Madhya Prasdesh and 11-Dr. Radhakrishnan Nagar Assembly Constituency in Tamil Nadu** and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. NOW, THEREFORE, the Election Commission of India hereby specifies **59-Chokpot(ST) Assembly Constituency in Meghalaya, 136-Aruvikkara, Assembly Constituency in Kerala, 13-Pratapgarh (SC) & 46-Surma (SC) Assembly Constituenies in Tripura, 227-Garoth Assembly Constituency in Madhya Prasdesh and 11-Dr. Radhakrishnan Nagar Assembly Constituency in Tamil Nadu** as the Constituencies in which the votes at the current bye-elections to the Legislative Assemblies from the said Constituencies notified on 3rd June 2015 (Wednesday), shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,

Sd./-

(ANUJ JAIPURIAR)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.